(7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

इस्तगासा पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
31/2022	08.02.2022	16.08.2022

उनवान

1. हवेसिंह पुत्र पतराज जाति जाट निवासी ग्राम माजरा काठ तह.नीमराना।

—:प्रार्थी / वादी।

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र बहादूरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम सहाय बहादूरनगर अटेली।
2. अजीतसिंह पुत्र रामानन्द जाति जाट निवासी शहजादपुर तह. गुण्डावर।
3. नवलसिंह पुत्र रामसुख जाति अहीर निवासी ग्राम बालधन कलां तह.डहीना।
4. सत्यवीरसिंह पुत्र हिरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी मकान नं. 38ए पुरानी तह0 अटेली मण्डी।
5. उपपंजीयक नीमराना।
6. तहसीलदार लैण्ड होल्डर नीमराना।

अप्रार्थीगण।

(दावा अन्तर्गत धारा53, 188

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिती:— 1 श्री रविन्द्र सामरिया एड0 प्रार्थी की ओर से।
2 श्री प्राणसुख सैनी एड0 अप्रार्थीगण की ओर से।

—::निर्णय::—

दिनांक :—16.08.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. प्रार्थी / वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0एक्ट0 बाबत हु.ई.दवामी पेशकर उसके साथ प्रा0 पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट0 पेश कर निवेदन किया कि आ.ख.नं. हाल 1101/295/0.5150 वाके ग्राम कोलीला जोगा मिन वादी व तर प्रति0 की खातेदारी की आराजी थी। जिसमे से मिन वादी व तर0प्रति. द्वारा 45.03 एयर भूमि का बेचान प्रतिवादी सं. 01 लगा. 04 को संभाग मे जरिये रजि0 बयनामा कर दिया गया। तथा शेष हिस्से के खातेदार काश्तकार काबिज मिन वादी व तर0प्रति0 है। उक्तानुसार आराजी के 210/240 हिस्सा यानि 45.0625 एयर भूमि के खातेदार प्रति. सं. 01 लगा. 04 संभाग रूप मे व 30/240 हिस्सा यानि 06.4374 एयर के संभाग खातेदार मिन प्रार्थी व तर0प्रति0 है। इसी अनुसार मौके पर काबिज है प्रतिवादीगण के हक मे बयनामा के आधार पर इंतकाल प्रक्रियाधीन है।आराजी बिना बंटी हुइ है जिसका विधिवत रूप से बंटवारा नही हुआ है। परन्तु प्रतिवादीगण 01 लगा. 04 अपने खातेदारी हिस्से से अधिक भूमि पर जबरन कब्जाकर व उसकी बिना किस्म परिवर्तन कराये प्लाटिंग करना चाहते है दिनांक 24.01.2022 को मिन प्रार्थी ने ऐसा ना करने को कहा तो जबरन कब्जा कर प्लाटिंग करने की खुली धमकी दी है। इसलिए जब तक विधिवत रूप से बंटवारान ना हो जावे तब तक प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।
2. प्रा0पत्र परतुत होने पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 09.02.2022 को अप्रार्थीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि गई की दिनांक 21.03.2022 तक आराजी ख.नं. 1101/295 वाके ग्राम कोलीला जोगा तह. नीमराना के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस संबंध मे जो भी उज्र हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे।

(5)

3. प्रा0पत्र दर्ज रजि. किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया बाद तामिल अप्रार्थी सं. 01 लगा.04 ने प्रार्थी के प्रा0पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि प्रार्थी द्वारा बनावटी व भ्रामक तथ्यो के आधार पर बदयांनी पूर्वक गलत रूप से दावा पेश किया है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से के अनुसार अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज काश्त है। मौके पर रकबा 0.4506 हैक्0 पर अप्रार्थी सं. 01 लगा. 04 काबिज है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खरीदशुदा भूमि का इंतकाल कार्यवाही रोकने की गर्ज से दावा पेश किया है। गलत दावे के आधार पर अवैध रूप से अप्रार्थीगण से रकम ऐंढने की नियत से दावा पेश किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

4. हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के संलग्न नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार हाल खं0 नं0 1101/295 प्रार्थी व प्रार्थी के भाई धर्मवीर,महेश की सह खातेदारी मे दर्ज है जमाबन्दी मे अंकित नोट के अनुसार अप्रार्थी सं. 01 लगा. 04 के द्वारा क्रय किए गए रकवे का नामांतकरण प्रकियाधीन होना अंकित है। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल मौका रिपोर्ट दिनांक 01.02.2022 के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा आराजी विवादित मे प्लाटिंग वास्ते कच्चा रास्ता बनाया जाना अवगत कराया है। व प्लाटिंग करने के वास्ते पिलर भी लगाये हुए है। तथा रिपोर्ट मे यह अंकित किया हुआ है कि आराजी विवादित को वर्तमान मे कृषि उपयोग से अकृषि प्रयोग के लिए विना भूरूपान्तरण कराये ही प्लाटिंग की जा रही है। इस मौका रिपोर्ट के साथ मौके की फोटो ग्राफी पेश की गई है जिसके अनुसार भी आराजी उक्त पर प्लाटिंग किया जाना सावित होता है। इसलिए प्रार्थी का प्रथम दृष्टया सावित होता है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है तथा नापूर्ति क्षति का अंदेशा भी प्रार्थी को ही है। प्रार्थीग का प्रार्थना पत्र भंलि भाति सावित होता है प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

5. अतः आदेश है कि:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व मे जारी टी0आई0 आदेश दिनांक 09.02.2022 को ताफैसला दावा संपूष्ट किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा इस अमर से पाबंद किया जाता कि वो आ.ख. नं. 1101/295 वाके ग्राम कोलीला जोगा तह. नीमराना मे वादी के खातेदारी काश्तकारी उपयोग,उपभोग की आराजी को किसी प्रकार की क्षति ना पहुचावे ना ही कोई कच्चा पक्का निर्माण करे एव मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। प्रा.पत्र फैशलशुमार हो कर संलग्न मूलवाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना